बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

आदेश संख्या–08 / आ०–05–42 / 2024..... / तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सिवान जिला में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, सिवान के द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों का निरीक्षण एवं विद्यालय अनुश्रवण ससमय नहीं किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, सिवान को अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से श्री श्रवण कुमार को निलंबित किया गया।

निदेशालय पत्रांक 822 दिनांक 26.09.2024 द्वारा श्री श्रवण कुमार के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 555 दिनांक 14.10.2024 द्वारा श्री श्रवण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री श्रवण कुमार के विरूद्ध दिनांक 12.09.2024 को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माघर, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, माघर एवं उच्च विद्यालय, माघर का अचूक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट के द्वारा विद्यालय का जाँच एवं अनुश्रवण के अभाव में कई प्रकार की अनियमितता पायी गयी जैसे आरोपों को प्रतिवेदित किया गया।

प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तदोपरान्त आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 410 दिनांक 17.04.2025 द्वारा श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, सिवान–सम्प्रति–निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गयाजी एवं उपस्थापन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सिवान को नामित किया गया।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गयाजी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अंकित है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 76/गो०ए दिनांक 06.06.2024 के आलोक में चिन्हित करते हुए रोस्टवार पदाधिकारी/कर्मी को विद्यालयों का निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी गयी थी। विद्यालय में साफ–सफाई से लेकर किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने एवं पठन–पाठन नियमित रूप से संचालन करने की जिम्मेवारी प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की बनती है, जो इनके द्वारा ससमय निवर्हन नहीं किया गया है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधीन विद्यालय में प्रभावी अनुश्रवण की आवश्यकता थी इस क्रम में प्रधानाध्यापक/शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में आने वाले कठिनाईयों पर विमर्श कर समग्र रूप से विद्यालय को विकसित करायें, ताकि विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके, यदि विद्यालय संचालन में किसी प्रकार की कमी अथवा कठिनाई है तो अनुश्रवण के माध्यम से उसे ठीक कराया जा सके, ताकि अध्ययनरत बच्चों के लिये विद्यालय में समुचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के विभागीय पक्ष से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्त्तव्य निवर्हन में चूक हुआ है, लगाया गया आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है।

श्री श्रवण कुमार के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की तिथि के पूर्व से ही प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के साथ उक्त विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण बी0आर0पी0 एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा नियमित रूप से किया गया एवं जाँच प्रतिवेदन ई–शिक्षा कोष पर अपलोड किया गया, परन्तु किसी भी स्तर से नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई। फलस्वरूप विद्यालयों में पायी गई कमियों का निराकरण नहीं किया जा सका। मेरे द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया जिसके कारण अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के निरीक्षण के क्रम में निरीक्षित विद्यालयों में अव्यवस्था दिखी, जैसे कुछ शिक्षक द्वारा उपस्थिति बनाकर विद्यालय में अनुपस्थित रहना, कमरा खाली रहने के बावजूद पेड़ के नीचे बैठाना, छात्र की उपस्थिति कम पाया जाना, साफ–सफाई का अभाव, मध्याह्न भोजन मीनू के अनुसार नहीं मिलना आदि। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत सभी विद्यालयों में समुचित व्यवस्था एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उनका लिखित अभ्यावेदन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, सिवान–सम्प्रति–सेवानिवृत्त–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलीगंज, जमुई के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत 3% पेंशन कटौती का दंड एक वर्ष के लिए अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
पटना, दिनांक 13.04.2026

ज्ञापांक–08/आ०–05–42/2024–492

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गयाजी/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा–17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सिवान–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), जमुई/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हाट, सिवान–सम्प्रति–सेवानिवृत्त–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलीगंज, जमुई/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)